न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, दौसा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

नामान्तरकरण अपील
मुकदमा संख्या 03/2023
घासीलाल व अन्य बनाम अंकित व अन्य

08.05.2024

अधिवक्ता अपीलान्ट्स उपस्थित। अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 4 लगायत 8 व 10 उपस्थित। रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 लगायत 8 व 10 की ओर से अपील अबेट होने से खारिज किये जाने हेतु प्रस्तुत किये गये प्रार्थना पत्र का अधिवक्ता अपीलान्ट्स द्वारा न तो जवाब प्रस्तुत किया गया और ना ही रेस्पोडेन्ट संख्या 9 के कायम मुकामान की सूचना पेश की गई। अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया गया कि उनवानी अपील में रेस्पोडेन्ट संख्या 9 रामहेत पुत्र मूल्या की मृत्यू दिनांक 21.01.2023 को हो चुकी है। जिस बाबत् प्रार्थीगण रेस्पोडेन्ट द्वारा दिनांक 31.03.2023 को माननीय न्यायालय के समक्ष लिखित में सूचना दे दी थी। किन्तु अपीलान्ट्स द्वारा आज दिनांक तक रेस्पोडेन्ट संख्या 9 रामहेत पुत्र मूल्या के कायम मुकामान की कार्यवाही नहीं की है। कानूनन किसी भी पक्षकार की मृत्यू हो जाने पर निर्धारित समय सीमा 90 दिवस में कायम मुकामान पेश किये जाते है, किन्तु अपीलान्ट्स द्वारा दिनांक 31.03.2023 को सूचना प्राप्त होने पर भी एक वर्ष से भी अधिक समय व्यतीत होने के उपरान्त भी कायम मुकाम का प्रार्थना पत्र पेश नहीं किया है। जिस कारण अपील स्वतः की अबेट हो चुकी है। अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 8 व 10 द्वारा अपील अबेट होने से खारिज फरमाये जाने का निवेदन किया गया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 8 व 10 के कथन पर मनन किया गया। जिससे स्पष्ट है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 8 व 10 द्वारा दिनांक 31.03.2023 को प्रार्थना पत्र बाबत् रेस्पोडेन्ट संख्या 9 रामहेत की मृत्यू बाबत् सूचना पेश किया गया है, किन्तु अपीलान्ट्स द्वारा एक वर्ष से भी अधिक समयावधि व्यतीत होने के उपरान्त भी रेस्पोडेन्ट संख्या 9 के कायम मुकामान की सूचना पेश नहीं की गई है और ना ही आज दिनांक तक कोई जवाब पेश किया गया है। जबकि किसी मुकदमे में प्रतिवादी की मृत्यू होने पर आदेश 22 नियम 4 सीपीसी के तहत आवेदन दाखिल करने की निर्धारित समय सीमा प्रतिवादी की मृत्यू की तारीख से 90 दिन निर्धारित है। ऐसी स्थिति में अपील अबेट होने के कारण खारिज किया जाना उचित समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर नामान्तरक[illegible]या 103 ग्राम अगावली पर तहसीलदार सिकराय द्वारा पारित आ[illegible] दिन[illegible] 05.11.69 के विरूद्ध अपीलान्ट्स घासीलाल पुत्र [illegible] जाति मीना निवासी अगावली तहसील [illegible] द्वारा इस न्यायालय में प्रस्तुत अपील **Abate** होने से खारिज की [illegible]ाती है। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम हो एवं बाद पूर्ति प्रविष्ठ अभिलेखागार की जावे। निर्णय आज दिनांक 08.05.2024 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sumitra Pareek
Date: 2024.05.23 18:21:08 IST
Reason: SelfAttested

(सुमित्रा पारीक)
अति. जिला कलक्टर,दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official